

कारक प्रकरण

कारक - "क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्" अर्थात् क्रिया से जिसका सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले अर्थात् क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध होता है उसे कारक कहते हैं।

उदाहरणार्थ : - 'रामः पुस्तकं पठति' वाक्य में 'राम' और 'पुस्तक' का सम्बन्ध 'पठति' क्रिया से है, इसलिये ये दोनों शब्द कारक हैं।

जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं होता है, उन्हें कारक नहीं मानते हैं।

उदाहरणार्थ : - 'मोहनः हः पुस्तकं पठति'। इस वाक्य में 'हः' का क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, अतः वह 'कारक' नहीं है। इसीलिये कहा गया है - 'क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्'।

अर्थात् क्रिया के सम्पादन में जिन शब्दों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ : - प्रयाग में महाराज हर्ष ने अपने हाथ से हजारों रुपये ब्राह्मणों को दान दिये। इस वाक्य में 'दान' क्रिया के सम्पादन के लिए जिन-जिन वस्तुओं का (शब्दों का) उपयोग हुआ है वे 'कारक' कहलायेंगी। दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है, यहाँ 'प्रयाग' में हुई, अतः 'प्रयाग' कारक हुआ। इस क्रिया के करने वाले हर्ष थे, अतः 'हर्ष' कारक हुए। यह क्रिया हाथ से सम्पादित हुई, अतः 'हाथ' कारक हुआ। रुपये दिये गये, अतः 'रुपये' कारक हुए और ब्राह्मणों को दिये गये, अतः 'ब्राह्मण' कारक हुआ। इस प्रकार क्रिया के सम्पादन के लिए चः सम्बन्ध स्थापित हुए -

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| क्रिया का करने वाला (सम्पादक)     | - कर्ता     |
| क्रिया का कर्म                    | - कर्म      |
| क्रिया का सम्पादन जिसके द्वारा हो | - करण       |
| क्रिया जिसके लिए हो               | - सम्प्रदान |



क्रिया जिससे दूर हो - अपादान  
क्रिया जिस स्थान पर हो - अधिकरण  
इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण  
ये छः कारक हैं -

कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च ।  
अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट् ॥  
इन्हीं कारकों के निरु विभक्तियाँ कहलाती हैं ।

सम्बन्ध को कारक क्यों नहीं माना जाता ?

'कारक' वही कहलाता है जिसका क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध हो ।

'राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा ।'

इस वाक्य में 'पकड़ने' की क्रिया लव और घोड़े से है, क्योंकि  
पकड़नेवाला 'लव' और पकड़ा जानेवाला 'घोड़ा' है । राम और

अश्वमेध का 'पकड़ने' की क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः राम को

और अश्वमेध को कारक नहीं कहेंगे । राम का सम्बन्ध लव से

है और अश्वमेध का घोड़े से, किन्तु क्रिया के सम्प्रदान में

इनका (राम का तथा अश्वमेध का) कोई उपयोग नहीं होता ।

अतः सम्बन्ध को कारक इसीलिए नहीं माना

जाना क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा (साक्षर) सम्बन्ध

नहीं होता । इसी प्रकार सम्बन्धन भी कारक नहीं होता, क्योंकि उत्तर

भी सम्बन्ध किसी क्रिया के साथ नहीं रहता ।

कर्ता आदि कारक-विभक्तियों के अर्थ हैं । कारक

अर्थ में आनेवाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं । कारक

से भिन्न या किसी पद के प्रयोग में आनेवाली विभक्ति उपपद-

विभक्ति कही जाती है ।

इस प्रकार विभक्ति दो प्रकार की होती है -

कारक विभक्ति , उपपद विभक्ति



विभक्ति -

संख्याकारकबोधयित्री विभक्ति:

जो कारक और वचन विशेष का बोध कराये, उसे विभक्ति कहते हैं अर्थात् जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं।

विभक्ति के प्रकार

विभक्तियाँ सात हैं -

- 1) प्रथमा
- 2) द्वितीया
- 3) तृतीया
- 4) चतुर्थी
- 5) पंचमी
- 6) षष्ठी
- 7) सप्तमी

प्रथमा आदि विभक्तियों का क्रम रू निरूपण →

प्रथमा विभक्ति →

प्रातिपदिकार्थ - लिङ्ग - परिमाण - वचन - मात्रे प्रथमा

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः ।  
प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्रा ~~व्याधिक्ये~~ परिमाणमात्रे संख्यामात्रे  
च प्रथमा स्यात् । प्रातिपदिकार्थमात्रे - ऊच्यैः । नीचैः । कृष्णः । श्रीः ।  
आनम् । लिङ्गमात्रे - तटः, तटी, तटम् । परिमाणमात्रे - द्रौणो व्रीहिः  
वचनम् - संख्या - एकः, द्वौ, बहुवः ।

प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, वचन और परिमाण मात्र में प्रथमा सैनी है । यहाँ मात्रे का अन्वय प्रत्येक के साथ होता है ।

इस प्रकार सूत्र का स्पष्टार्थ होगा -

प्रातिपदिकार्थ (व्यक्ति और जाति) मात्र, लिङ्ग (स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग - नपुंसकलिङ्ग) मात्र, परिमाण (वजन) मात्र और वचन (एकत्व, द्वित्व, बहुत्व) मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है ।

प्रातिपदिकार्थ - ~~नियतोपस्थितिकः~~ नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः

नियत उपस्थिति वाले अर्थ का अर्थात् (प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर) जिस अर्थ की प्रतीति (उपस्थिति) अवश्य (नियत) होता है, उसे प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है ।



[ प्रातिपदिक का अर्थ है 'शब्द' ।

प्रत्येक शब्द का कुछ निश्चित अर्थ होता है । संस्कृत व्याकरण  
जब तक किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़कर (सुप्तिङन्तं पदम्)  
न बना ले तब तक उसका कुछ अर्थ नहीं समझते । अतः जब  
किसी शब्द का कोई अर्थ निकालना हो तो उस शब्द में प्रथमा  
विभक्ति लगाते हैं । 'गोविन्द' का उच्चारण निरर्थक होगा, किन्तु  
यदि 'गोविन्दः' कहें तो 'गोविन्द' शब्द का अर्थ होगा । इसी  
कारण संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में ही नहीं, अपितु अव्यय शब्दों तक  
में भी संस्कृत के विद्वान् प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, जैसे -  
उच्यैः, नीचैः आदि । ]

श्वार्थ - प्रत्यय - लिङ्ग - संख्या - कारकाणि पञ्चकः प्रातिपदिकार्थः  
यदि 'पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः' यही सिद्धान्त सूत्र में पाणिनि को  
अभिमत होता तो ऐसी दशा में सूत्र में इनका पृथक् ग्रहण  
व्यर्थ हो जाता है ।

अतः निष्कर्ष यह निकलता है - इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ  
के कुछ भिन्न अन्य ही सूत्रकार को अभिमत है ।

प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर निश्चित उपस्थिति जाती और  
व्यक्ति रूप अर्थ की ही होती है । इसलिये यहाँ प्रातिपदिक का  
जाति या व्यक्ति रूप अर्थ ही लिया जाता है ।

मात्र शब्दस्य - मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ  
सम्बन्ध है ( मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योः ) ।

सूत्र में प्रयुक्त मात्र शब्द का सूत्र में आर ह्रस्व प्रत्येक शब्द  
के साथ सम्बन्ध होता है ।

'प्रातिपदिकार्थ - लिङ्ग - परिमाण - वचनानि' - इन चार शब्दों का  
यहाँ समुच्चय अर्थ में द्वन्द्व समास हुआ है और मात्र शब्द  
का इस द्वन्द्व समास से सिद्ध ह्रस्व शब्द के साथ 'प्रातिपदिक -  
लिङ्ग - परिमाण - वचनान्येवेति' 'प्रातिपदिकार्थ - लिङ्ग - परिमाणवचनमात्रम्'  
इस प्रकार समास होता है ।



6 द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिरुच्यते ।

द्वन्द्व समास के अन्त में श्रूयमाण पद का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार द्वन्द्व समास में ~~प्रत्येक~~ आने वाले प्रातिपदिकार्थ आदि प्रत्येक शब्द के साथ मात्र शब्द का सम्बन्ध होता है ।

मात्र शब्द का अर्थ - अवधारण - निश्चय है ।

पर्याय-समानार्थक शब्द = केवल

केवल प्रातिपदिकार्थ में, लिङ्गमात्र आदि की अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति है। (प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् )

लिङ्गमात्राद्याधिक्ये - में आदि शब्द से परिमाण का ग्रहण होता है ।

प्रातिपदिकार्थ तो सर्वत्र प्रतीत होता है उससे अधिक कुद और प्रतीत हो तो केवल लिङ्ग रूप अर्थ और परिमाण रूप अर्थ ।

इसका तात्पर्य यह हुआ जहाँ लिङ्ग मात्र की अधिक प्रतीति होगी, वहाँ अपने आप सिद्ध हो गया कि प्रातिपदिकार्थ की प्रतीति वहाँ होती ही है ।



प्रातिपदिकार्थमात्र के उदाहरण —

उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्

इनमें प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थमात्र में आई है।

इनमें प्रथमा विभक्ति का अर्थ केवल प्रातिपदिक का नियत (अवश्य) प्रतीत होने वाला अर्थ है।

जितना अर्थ प्रातिपदिक का है उतना ही अर्थ प्रथमा विभक्ति के आने पर भी प्रतीत होता है।

प्रकृति (प्रातिपदिक) तथा प्रत्यय (विभक्ति) दोनों मिलकर प्रातिपदिकार्थ - अवश्य प्रतीत होने वाला शक्यार्थ का ही बोध कराते हैं।



प्र० - कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्

इन उदाहरणों में पुरुषत्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व लिङ्ग रूप अर्थ का भी बोध होता है, अतः इनको वे लिङ्गानाम् की अधिकता के उदाहरण होना चाहिए।

स० - प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण वे शब्द हैं जिनका कोई लिङ्ग नहीं अर्थात् अव्यय हैं तथा जिनका लिङ्ग नियत है अर्थात् प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर नियमित रूप से उपस्थित होता है।

उच्यैः, नीचैः - अलिङ्ग हैं, क्योंकि ये अव्यय हैं, अव्यय तीनों लिङ्गों में समान रहता है, अतः अव्यय अलिङ्ग शब्द कहे जाते हैं।

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु  
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति नदव्ययम्।

अर्थात् जो तीनों लिङ्गों, में सभी विभक्तियों और सब वचनों में समान रहता है तथा जिनमें उपर्युक्त लिङ्ग, विभक्ति और वचन के कारण विकार नहीं होता वह अव्यय होता है।



द्रव्य — लिङ्ग और संख्या का जिससे सम्बन्ध होता है उसे द्रव्य कहते हैं ।

द्रव्य से भिन्न अर्थ वाला शब्द अव्यय होता है ।

अव्यय के द्वारा केवल सामान्य शक्य अर्थ ही प्रतीत होता है । इसीलिए प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा के उदाहरण अलिङ्ग अव्यय शब्द होंगे ।

कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् — इन तीन उदाहरणों में यद्यपि क्रमशः पुंस्त्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व लिङ्गरूप अर्थ का भी बोध होता है तथापि ये प्रातिपदिकार्थमात्र के ही उदाहरण हैं ।

क्योंकि नियत उपस्थिति होने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ बनाया गया है और उनमें पुंस्त्व आदि लिङ्गरूप अर्थ भी नियत रूप से प्रतीत होने के कारण प्रातिपदिकार्थ ही माने गए हैं । यहाँ लिङ्गरूप अर्थ प्रातिपदिकार्थ से भिन्न नहीं । अतः लिङ्गरूप अर्थ का प्रातिपदिकार्थ में अन्तर्भाव हो जाने से ये तीनों उदाहरण प्रातिपदिकार्थमात्र के ही हैं ।



लिङ्गमात्र के आधिक्य के उदाहरण — तटः, तटी, तटम्

प्र० - यदि कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् - ये लिङ्ग अर्थ की प्रतीति होने पर भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हुए तो लिङ्गमात्र की अधिकता के उदाहरण कैसे मिलेंगे ?

स० - जिन शब्दों का लिङ्ग नियत नहीं, जैसे - तट शब्द वे शब्द लिङ्गमात्र की अधिकता के उदाहरण होंगे। क्योंकि इन शब्दों के उच्चारण करने पर ~~इनका लिङ्ग~~ पुंस्त्व आदि लिङ्ग का ज्ञान निश्चित नहीं होगा कभी पुंस्त्व लिङ्ग का भान होगा है, कभी स्त्रीत्व का और कभी नपुंसकत्व का।

तटः कटने पर पुल्लिंग

तटी " स्त्रीलिंग

तटम् " नपुंसकलिङ्ग की प्रतीति होती है।

किसी की नियत प्रतीति नहीं होती है।

अनियत प्रतीति होने से ये शब्द अनियत लिङ्ग है

अतः प्रातिपदिकार्थ से अधिक लिङ्गमात्र अर्थ की प्रतीति करने होने से लिङ्गमात्र की अधिकता के उदाहरण हैं।



द्रोणो व्रीहिः — द्रोण (परिमाणवाचक शब्द)  
व्रीहि (परिमेय वाचक शब्द)

द्रोण के दो अर्थ हैं —

- 1) वर्तन का बोधक  
उस वर्तन में जितना सामान अट जाता है  
उसी अर्थ में लिया जाता है
- 2) केवल परिमाण अर्थ है प्रातिपदिक  
अर्थ में नहीं है — अगर प्रातिपदिक अर्थ  
में कहा जाता तो द्रोण को ही परिमाण कहा  
जाता लेकिन यहाँ द्रोण में जितना सामान  
अट रहा है उस परिमाण को बताया जा रहा  
है ।



(वचनम् संख्या)  
वचन शब्द का अर्थ संख्या है अर्थात् वचन वाचक है  
और संख्या वाच्य । पूर्वजायों ने वाच्य और वाचक का  
अभेद मानकर संख्या की संज्ञा 'वचन' कर दी है ।

वचनमात्रे प्रथमा — 'वचन मात्र में प्रथमा होती है' यही  
अर्थ करना उचित है, न कि लिङ्गमात्र के आधिक्य  
और परिमाण मात्र के आधिक्य में — के समान वचन  
मात्र के आधिक्य में । क्योंकि केवल लिङ्ग और  
परिमाण की प्रतीति कहीं नहीं होती, उनके साथ  
प्रातिपदिकार्थ अवश्य प्रतीत होगा । परन्तु संख्या  
अर्थ की प्रतीति 'एकः, द्वौ, बहवः' यहाँ केवल रूप  
से ही मिल जाती है — इसीलिए भाष्यकार ने ये  
उदाहरण दिये हैं । इसीलिए वचन मात्र में प्रथमा होती  
है यही अर्थ यहाँ उचित है ।

'मात्र' शब्द के ग्रहण का फल है कि कारक  
आदि अर्थ की अधिकता प्रतीत होने पर प्रथमा नहीं होती ।